मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/(मार्के/निर्यात)-21/एपीडा-पार्ट/925 भोपाल, दिनांक/15/ 03/ 2022

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक
   मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय (समस्त)

2. सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)

विषय - प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- प्रबंध संचालक महो. म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का पत्र क्रमांक./बी-6/निय./(मार्के/निर्यात)-21/एपीडा-पार्ट/899 दिनांक 11/03/2022

---00---

विषयान्तर्गत लेख है कि "किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक/बी-15-13/2019/14-2 दिनांक 26/08/2021" से जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर स्तरीय समिति (CFC) को कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन को मूर्तरूप प्रदान करने का दायित्व प्रदान किया गया है। मंडी बोर्ड के संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रबंध संचालक महो. द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को क्लस्टर सुविधा समिति (CFC) की बैठक आयोजित करने हेतु लेख किया गया है, सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अतः निर्देशों के अनुक्रम में सभी आंचलिक अधिकारियों एवं जिला नोडल मंडी सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर तथा उपसंचालक उधानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करावे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

अपर संचालक (निर्यात)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल